

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक/अभि./सीटीएडी/सोलर पेयजल योजना/18-19/36113-24

दिनांक :05.10.2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)
राजसमंद।

विषय : पेयजल योजना निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय किरण माहेश्वरी मंत्री उच्च, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त पत्रांक तउसंशिविप्रौ/2018/2881 एवं 2882 जयपुर, दिनांक 03.10.2018 के क्रम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से तकनीकी मय तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नांकित स्थान पर पेयजल योजना निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

(राशि लाख रु. में)

क्र.स.	नलकूप का स्थान व ग्राम	ग्रा.प.	पं.स.	तकनीकी स्वीकृति	
				क्र./दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	नलकूप निर्माण व स्थापना देवरों का खेड़ा	खटा मला	राजसमंद	229/04.10.2018	2.69
2	नलकूप निर्माण व स्थापना, बासोल	भाणा	राजसमंद	210/04.10.2018	9.72
3	नलकूप निर्माण व स्थापना, बागडोला	भाणा	राजसमंद	231/04.10.2018	9.81
4	नलकूप निर्माण व स्थापना, धनजी का खेड़ा, नर्सरी	खटामला	राजसमंद	232/04.10.2018	14.52
5	नलकूप निर्माण व स्थापना नाकली	भाटोली	राजसमंद	233/04.10.2018	12.70
6	नलकूप निर्माण व स्थापना, मंगटिया खुर्द	भाटोली	राजसमंद	234/04.10.2018	11.73
7	ट्यूब वेल निर्माण एवं विद्युतीकरण कार्य भील बस्ती, खेमा खेड़ा	महासतिय 1 की मादडी	राजसमंद	235/04.10.2018	5.95
8	पाईप लाईन विस्तार फरारा मेन रोड से वैर भील बस्ती,	पीपरडा	राजसमंद	236/04.10.2018	4.85
9	पाईप लाईन विस्तार मेन रोड से भट्टे के पास ताल (नया कुंआ)	पीपरडा	राजसमंद	237/04.10.2018	4.85
10	पाईप लाईन विस्तार मेन रोड से बंगला कुंआ तक	पीपरडा	राजसमंद	238/04.10.2018	4.85
11	नलकूप निर्माण व स्थापना, दौलत कोलोनी केलवा	केलवा	राजसमंद	241/04.10.2018	5.65
				योग	87.32

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-17/2018-19 द्वारा पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि में से शेष रही राशि से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी खाते में उपलब्ध है।

शर्त:-

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे।
- समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।

4. निर्माण पश्चात योजना का संचालन एवं संधारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जावे।
5. योजना से अधिकांश जनजाति परिवार लाभान्वित हो।
6. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार किया जावे।
7. द्यूबवेल वेधन असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नहीं किया जावे।
8. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित करें।
9. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई बचत रहती है तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा) I.A.S
आयुक्त

क्रमांक/अभि./सीटीएडी/सोलर पेयजल योजना/18-19/36113-24
प्रतिलिपि -

दिनांक :05.10.2018

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. माननीय किरण माहेश्वरी मंत्री महोदय, उच्च, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, 2114, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर।
5. अधीक्षण/अधिशोषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त/खण्ड राजसमंद।
6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमंद।
7. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा शासन की स्वीकृति संख्या-17/2018-19 द्वारा पेयजल योजना हेतु उपलब्ध राशि में से राशि रु. 87.32 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, राजसमंद को हस्तांतरित करावे।
8. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा।
10. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
11. गार्ड फाईल।

आयुक्त